भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
Security Printing and Minting Corporation of India Limited
मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/383/15(पी.टी.)/ 2955
SPMCIL/VIG/383/15(Pt)/

दिनांक: 25.08.2017
Date: 25.08.2017

परिपत्र संख्या.13/17 CIRCULAR NO. 13/17

विषय/Sub: खरीद प्रक्रिया मे प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक अनियमितताओ के संबंध मे |
Administrative and procedural lapses in procurement process- reg.

सतर्कता विभाग द्वारा निविदा से संबंधित शिकायत की जाँच पड़ताल मे यह पाया गया है कि एसपीएमसीआईएल मे इकाई स्तर पर खरीद प्रक्रिया मे केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देश तथा एसपीएमसीआईएल खरीद नियमावली का पैरा 4.5 का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया गया था | जिसके परिणामस्वरूप खरीद प्रक्रिया मे निम्नलिखित चूक हो गई थी | During investigation of a complaint related to the tender it has been observed by the Vigilance Department that the guidelines of the Central Vigilance Commission and paragraph 4.5 of SPMCIL Procurement Manual were not strictly followed at the unit level in procurement process. As a result, the following lapses had been detected in the procurement process.

i) PAC item की खरीद प्रक्रिया मे एसपीएमसीआईएल खरीद नियमावली के एनेक्चर-21 के अनुसार मूल उपकरण निर्माता को पीएसी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया था | PAC certificate was not issued to original equipment manufacturer as per Annexure-21 of SPMCIL Procurement Manual in the procurement process for PAC item.

ii) इकाई स्तर पर गठित कमेटी द्वारा निविदा के ईएमडी प्रावधान तथा भुगतान संबंधी नियम मे बदलाव किया गया था, जो इस तरह के निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं थी | E.M.D provision and payment terms of the tender were changed by the committee formed at unit level which was not competent to take such decisions.

2. आगे, यह भी पाया गया है कि इकाइयो द्वारा निविदायें जारी करते समय विनिर्देश को स्पष्ट रूप से दर्शाया नहीं जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप बाद के चरण मे विनिर्देशों कि व्याख्या, हेराफेरी और जटिलताओं को बढ़ावा मिल रहा है | Further, it has also been observed that while issuing the tenders the specification, is not being clearly mentioned by the units. As a result this is giving rise to manipulation, interpretation and ambiguity at later stage.

SBehera
28/8/17

Continue P-2

3. सक्षम प्राधिकारी ने उपरोक्त अनियमितताओ को गंभीरता से संज्ञान मे लिया है। इस संदर्भ में, सभी संबंधितों को एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी विसंगतिओ की पुनवृत्ति ना हो।

3. Competent Authority has viewed the above lapses seriously. In this regard, all concerned are hereby advised to ensure that such lapses are not repeated in future.

3. इस परिपत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की वेबसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।
3. The widest possible publicity should be given to his circular and all concerned should be informed. It should also be uploaded on the website of the unit & displayed on the sectional notice board.

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
4. This issues with the approval of Competent Authority.

SBehera
25/08/17

(शशिभूषण बेहेरा)/(SHASHIBHUSHAN BEHERA)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/Dy. CVO

महाप्रबंधक/The General Manager,
टकसाल/मुद्रणालय/कागज़ कारखाना/Mints/Presses/Paper Mill,
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि.।/SPMCIL

प्रतिलिपि:
1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक।/ CMD.
2. निदेशक (तक./मा.सं.)/मु.स.अ.।/Director (Tech/HR)/CVO.
3. मुख्य वित्तीय अधिकारी/Chief Financial Offier.
4. अपर महाप्रबंधक (नि.मु.)/उप मु.स.अ./Addl. GMs (CHO)/Dy. CVO.
5. मुख्य प्रबंधक (नि.मु.)/Chief Managers (CHO)
7. प्रबंधक (नि.मु.)/Managers (CHO).
8. सभी सतर्कता कार्यपालक (नि.मु./इकाइयां)/All Vigilance Officials (CHO/units).
9. सूचना पटल एवं वेबसाइट।/Notice Board & Website.